न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 101/2017 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 20.12.2017

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी
-प्रार्थी

बनाम

1-श्री प्रकाश गुर्जर पुत्र मोतीलाल ग्राम लुहारिया, पं. स. भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2-श्री मोतीलाल गुर्जर पुत्र हरदयाल निवासी लुहारिया **(मृत्तक-नामतर्क)**
3-श्री रामचन्द्र गुर्जर पुत्र प्यारा गुर्जर लुहारिया

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री महावीर गोस्वामी, बालाजी सिक्युरिटी सर्विस बैंक प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 06.03.2018

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 3,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 मूल ऋणी एवं विपक्षी संख्या 3 (गारण्टर) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 (गारण्टर) का नोटिस विपक्षी की मृत्यु की सूचना के साथ प्राप्त होने से प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने विपक्षी संख्या 2 जो कि गारण्टर है का नामतर्क कर मूल ऋणी से ऋण राशि वसूल कराये जाने व बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि का निवेदन स्वीकार कर मृत्तक

प्रकरण संख्या 101/2017 (रे.वि.)
बैंक ऑफ बड़ौदा, भैंसरोड़गढ़ बनाम श्री प्रकाश गुर्जर निवासी लुहारिया पं.स. भैंसरोड़गढ़ वगैरा

विपक्षी संख्या 2 का नामतर्क करने के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि सुनी गयी।

बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न हैः-

गांव लुहारिया में स्थित क्षैत्रफल 2415 वर्गफीट का पट्टा जिसके पड़ौस निम्न हैः-

पूर्व में	**:-**	**श्री नारायण पुत्र रूपा गुर्जर का मकान**	**पश्चिम में**	**:-**	**आम रास्ता**
उत्तर में	**:-**	**श्री रामचन्द्र का मकान**	**दक्षिण में**	**:-**	**ढालू पुत्र श्री प्यारा गुर्जर का मकान**

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 09.11.2017 तक राशि रूपये 5,02,461/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़